उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

निविदा संख्याः **131** /XI-B-09/ S.L.S.A. NTL /2015 दिनांकः 08 मई, 2015

पुस्तक की छपाई (प्रिटिंग) बावत् निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा समय–समय पर पुस्तकों की छपाई (प्रिटिंग) हेतु प्रतिष्ठित/ख्याति प्राप्त फर्मो से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत Bid के आधार पर दिनांकः 01.06.2015 समय 1.30 बजे तक मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं, उक्त निविदायें दिनांकः 01.06.2015 को अपरान्ह् 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख राज्य प्राधिकरण के कार्यालय में खोली जायेंगी।

निविदा संबंधी समस्त नियम व शर्तों का भली–भाँति अवलोकन राज्य प्राधिकरण की वेबसाइट http://www.slsa.uk.gov.in पर कर लिया जाये।

ह0/–
सदस्य सचिव
उ0रा0वि0से0प्रा0, नैनीताल

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल की पुस्तक की छपाई (प्रिटिंग) हेतु विशिष्टियां (Specifications), निविदा संबंधी समस्त नियम व शर्तें

विशिष्टियां (Specifications)

1. साईज – 8.5 इंच लम्बाई एवं 5.5 इंच चौडाई
2. कवर पेज 150 जी.एस.एम., आर्ट पेपर मल्टी कलर व अन्य पेज 100 जी.एस.एम. आर्ट पेपर मल्टी कलर छपाई एवम् कलर पेज 150 जी.एस.एम. आर्ट पेपर श्याम–श्वेत (Black & White) अन्य पेज 100 जी.एस.एम. आर्ट पेपर श्याम–श्वेत (Black & White) छपाई।

नियम व शर्ते

1. सर्वप्रथम इच्छुक निविदादाता को अपनी दरें प्रति पेज देना अनिवार्य है। प्रति पृष्ठ दो तरफा छपाई को उपरोक्त साईज – 8.5 इंच लम्बाई एवं 5.5 इंच चौडाई के अनुसार दो पेज माना जायेगा।
2. अनुमोदित निविदादाता/फर्म को ही पुस्तकों की छपाई का आदेश दिया जायेगा।
3. निविदादाता को छपाई जाने वाली पुस्तक का सैम्पल डिजाइन प्रस्तुत करना होगा।
4. छपने वाली सामग्री उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी।
5. प्रकाशित पुस्तक की छपाई सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर करनी होगी।

6\. प्रत्येक प्रकाशित होने वाली पुस्तक की संख्या 1,00,000 तक हो सकती है तथा उक्त प्रतियों की संख्या प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार घटायी–बढ़ायी जा सकती है।

6\. राज्य प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के कार्यालय में किया जा सकता है।

8\. जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत की जायेंगी, उस निविदादाता को छपाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लगभग रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ. डी.आर./एन.एस.सी./बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पक्ष में बन्धक हो, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

9\. अनुमोदित फर्म/न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म को अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के कार्यालय में अपने स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।

10\. फर्म का ट्रेड टैक्स विभाग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी है।

11\. आयकर विभाग का पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।

12. सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का दोष व कमी आने पर प्रतिभूति धनराशि में से कटौती की जायेगी।

13. किसी भी विवाद अथवा परिस्थिति में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

14. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, नैनीताल होगा।

ह0/–
सदस्य सचिव,
उ0रा0वि0से0प्रा0, नैनीताल।